संख्या:-432(1)/नौ-7/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 409/नौ-7-2020, दिनांक 14 मार्च, 2020, संख्या 432/नौ-7-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 एवं निदेशक कैम्प 510/पी0ए0/2020, दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं तद्विषयक नगर निकायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विषयगत आप सभी को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। अग्रेतर उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी निकायों में सुनिश्चित कराया जाये:-

1. **दिनांक 22.03.2020 को विशेष सफाई अभियानः**- यद्यपि पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में सतत रूप से सफाई अभियान को भली-भांति प्रभावी रूप से निकायों में सुनिश्चित किया जाना है एवं उक्त के क्रम में दिनांक 22.03.2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कर्फ्यू दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाये जाने विषयक किये गये आह्वान के दृष्टिगत उक्त दिवस पर समस्त नगरीय निकायों द्वारा विशेष सफाई अभियान दिवस के रूप में कार्य किया जाये और सफाई के दृष्टिगत निर्गत निर्देशों को भली-भांति समस्त निकायों में तदनुसार उक्त तिथि में विशेष अभियान के रूप में सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **निकायों कर्मियों को पी0पी0ई0 (सुरक्षा उपकरण) उपलब्ध कराना:**- निकायों के समस्त कर्मियों को सुरक्षा उपकरण के साथ कार्य किये जाने विषयगत पूर्व से ही प्रभावी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समुचित पी0पी0ई0 समस्त कार्मिकों को भली-भांति उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाये और तदनुसार सभी कार्मिक उक्त सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करे इस हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नही होनी चाहिये।

3. **क्वॉरन्टाइन (Quarantine) एवं विशेष सैनेटाइजेशन विषयक कार्यवाही:–** नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने हेतु चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये गये स्थलों/घरों/मोहल्लों आदि में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग से समन्वय कर विशेष सफाई अभियान तथा इस विषयगत निर्गत निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर सैनेटाइजेशन किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये और इस हेतु यथावश्यकता उक्त क्षेत्र/परिसर के स्वामियों के साथ भी संयोजन/समन्वय कर उपरोक्त कार्य को सुनिश्चित कराया जाये।
4. **हाथ धोने हेतु विशेष व्यवस्था:–** जैसाकि आप सभी अवगत है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण को रोके जाने हेतु आम जन द्वारा अपने हाथों को स्वच्छ और वायरस मुक्त रखे जाने के दृष्टिगत नियमित रूप से भली–भांति साबुन/जल द्वारा धोते रहना आवश्यक है, जिससे कि संक्रमण की सम्भावना समाप्त हो, अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निकायों में सार्वजनिक स्थलों/प्रमुख स्थलों/ भीड़–भाड़ अथवा आम जन के आवागमन संबंधी परिसर/स्थल के पास समुचित स्थान चिन्हित करते हुए निकायों द्वारा तदनुसार हाथ धोने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये एवं उक्त स्थल पर जिसमें कि स्वच्छ जल/साबुन/सैनेटाइजर आदि समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही साथ समस्त प्रकार के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में उपरोक्त व्यवस्था को सतत रूप से सुनिश्चित कराया जाये और यदि कहीं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का संचालन किसी अन्य संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उनके साथ समन्वय कर उक्त व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करायी जाये।
5. **संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्देशों का प्रचार–प्रसार:–** पूर्व में निर्गत निर्देशों में आप सभी को विस्तृत रूप से वायरस के संक्रमण के विषयगत सावधानी/बचाव विषयक सामग्री/निर्देशों की जानकारी समुचित प्रचार–प्रसार करते हुए आम जन के मध्य भली–भांति पहुचायें जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्तानुसार सतत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
6. निकायों द्वारा की जा रही कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाये और उपरोक्त नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के विषयगत दैनिक रूप से की जा रही कार्यवाही के संबंध में आम जन मानस में भली–भांति जानकारी दिये जाने एवं उक्त संक्रमण को रोकने के विषयगत की जा रही व्यवस्था तथा सावधानियों के समुचित प्रसार–प्रचार के दृष्टिगत प्रेस–इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी कृत कार्यवाही की जानकारी नियमित रूप से दी जाये।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।

3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

4— निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।

5— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)
सचिव